भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2070
दिनांक 03 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

निर्भया फंड के तहत समीक्षित प्रस्ताव

2070. श्रीमती फूलों देवी नेताम:
श्री प्रमोद तिवारी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्भया फंड की शुरूआत से अब तक इस फंड के अंतर्गत समीक्षित प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) फंड की शुरूआत से अब तक इस फंड के माध्यम से आबंटित की गई धनराशि और लाभार्थियों के लिए कार्यक्रमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग आधा फंड अप्रयुक्त है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : निर्भया फ्रेमवर्क के तहत मूल्यांकित 9176.65 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 परियोजनाओं / स्कीमों का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

निर्भया फंड की स्थापना के बाद से निधियों का वर्ष-वार आवंटन इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आवंटित रूपये करोड में)	1000.00	1000.00	-	707.62	550.00	550.00	550.00	1355.23	500.00	500.00

(ग) और (घ) : वित्तीय वर्ष 2022-23 तक आवंटित 6712.85 करोड़ रुपये में से 4480.30 करोड़ रुपये की राशि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वितरित/जारी की जा चुकी है।

निर्भया फंड के तहत परियोजनाएं/स्कीमें मांग प्रेरित हैं। निर्भया फंड के फ्रेमवर्क के तहत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं/स्कीमो का सुव्यवस्थित कार्यान्वयन शेड्यूल है। इसके अलावा, कुछ मूल्यांकित परियोजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, हालांकि, अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जिसमें केंद्र सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संबंधित परियोजनाओं/स्कीमो के निर्धारित साझा अनुपात और अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि के अनुसार राज्य/ संघ शासित क्षेत्र द्वारा बुनियादी स्तर पर किए गए कार्यान्वयन के अनुसार निधियां जारी करती है। इसके अलावा, ऐसी और स्कीमें हैं जिनके लिए सेवाएं

प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर और धनराशि जारी की जाती है। वह वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया था उसकी समाप्ति के बारह महीनों के भीतर यूसी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए, यह संभव है कि अधिक निधियों का वास्तव में उपयोग किया गया हो, लेकिन सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) को संबंधित राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हो। यूसी और एसओई जमा करने के लिए राज्यों/आईए का नियमित रूप से अनुसरण किया जाता है। कई अन्य कारक जैसे कि सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अप्रत्याशित कारणों से व्यवधान जैसे कि कोविड 19 आदि द्वारा किया गया व्यवधान भी स्कीमों/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं। निर्भया फंड के तहत अब तक जारी किए गए फंड का करीब 70 फीसदी उपयोग किया जा चुका है।

*****

अनुलग्नक-I

'निर्भया फंड के तहत समीक्षित प्रस्ताव' विषय पर श्रीमती फलों देवी नेताम और श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 3.08.2022 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया फंड के तहत इसके शुरुआत से मूल्यांकित परियोजनाओं/ स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा

मंत्रालय/ विभागा	क्र.सं.	परियोजना का नाम	मंजूरी की तिथि	मूल्यांकित निधि (करोड़ में)
गृह मंत्रालय	1.	आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस)	02.02.2014 (सीसीईए)	321.69
	2.	केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष (सीवीसीएफ) का सृजन	जून, 2015	200.00
	3.	महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	06.01.2016	195.83
		सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत उप-परियोजना	04.06.2018	28.93
	4.	दिल्ली में जिला और उप-मंडलीय थाना स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/ काउंसलरों की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव	18.02.2016	5.07
	5.	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएचसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) में महिला केंद्रित सुविधाओं सहित नया भवन	18.02.2016	23.53
	6.	दिल्ली पुलिस की 'महिला सुरक्षा' स्कीम के तहत अन्य विभिन्न गतिविधियां	04.10.2017	10.20
	7.	8 शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बेई के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव	01.03.2018	2919.55
	8.	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में आधुनिकतम डीएनए लैब की स्थापना	01.03.2018	99.76
	9.	24 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, पुडुचेरी, झारखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और नागालैंड में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना	16.11.2018, 20.02.2019, 29.03.2019, 18.03.2020, 29.09.2020, 30.09.2021, 29.04.2022	208.76
	10.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	22.10.2019	100.00
	11.	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के थानों (10,000 पुलिस स्थांनों को शामिल करते हुए) में महिला हेल्प, डेस्कों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	22.10.2019	100.00
	12.	यौन हमलों के मामलों के लिए फॉरेंसिक किटों की खरीद के लिए प्रस्ताव	16.11.2018	7.09

	13.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव	18.03.2020	7.50
	14.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तीन सालों के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव	29.04.2022	4.69
रेल मंत्रालय	15.	समेकित आपात प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	18.11.2015	500.00
	16.	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	16.11.2018	17.64
	17.	समेकित आपात प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	29.04.2022	6.35
एमईआईटी/ आईआईटी दिल्ली	18.	महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरणों का विकास और फील्ड परीक्षण	19.07.2016	3.49
न्याय विभाग	19.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना	16.11.2018	767.25
		(वित्त वर्ष 2021-22 तक दो और वर्षों के लिए एफटीएससी का विस्तार)	05.02.2020	1687.95
पर्यटन मंत्रालय	20.	मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य	19.12.2019	27.98
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	21.	महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभय परियोजना प्रस्ताव	19.07.2016	138.49
	22.	यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा	21.07.2017	83.50
	23.	भारी यात्री वाहनों के लिए बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण	04.10.2017	56.06
	24.	राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफार्म के अनुकूलन, नियोजन और प्रबंधन के लिए सी-डैक का प्रस्ताव	20.02.2019	465.02
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25.	वन स्टॉप सैंटर (ओएससी)	अप्रैल, 2015	867.74
	26.	महिला हेल्पलाइन (डब्लूयूएचएल) का सार्वभौमिकरण	अप्रैल, 2015	155.94
	27.	महिला पुलिस वॉलेंटियर्स (एमपीवी)	20.12.2016	27.76
	28.	चिराली प्रस्ताव, महिला सशक्तीकरण निदेशालय	20.12.2016	10.20
	29.	महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार	21.07.2017	1.74
	30.	महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा, उत्तराखंड सरकार	21.07.2017	0.72
	31.	निर्भया आश्रय गृह, नागालैंड सरकार	21.07.2017	2.84
	32.	निर्भया डैशबोर्ड विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई	मार्च, 2017	0.24
	33.	सूचना विभाग, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, यूपी सरकार का प्रस्ताव : औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति	26.03.2021	8.25
	34.	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए	28.04.2021	74.10

		संकटाकालीन देखभाल और सहायता की स्कीम		
विदेश मंत्रालय	35.	विदेशों में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव	28.04.2021	40.79
		कुल योग	**-**	**9176.65**

*****